BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 645 OF 2025

IN THE MATTER OF:

MAHANT GOVIND DAS SHASTRI ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ... RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY DISTRICT FOREST OFFICER (RESPONDENT NO 5), VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 01.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1.**	

3.	A COPY OF THE PHOTOS OF THE PLANT ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE -2**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

DATE: - 04.04.2026

PLACE: - NOIDA

I

287/26

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 645 OF 2025

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Ramesh Prasad Gupta Area-Varanasi R.No.-24(12)2000 GOVT. OF U.P.

IN THE MATTER OF:

MAHANT GOVIND DAS SHASTRI ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS ... RESPONDENT(S)

REPLY BY DISTRICT FOREST OFFICER (RESPONDENT NO 5), VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, SWATI, aged about 37 years, D/o Shri AMAR DASS SUMAN, posted as District Forest Officer, Varanasi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY Ramesh Prasad Gupta Area-Varanasi R.No.-24(12)2000 GOVT. OF U.P.

21/1/26

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in this present Original Application, the applicant has raised grievances regarding encroachment and raising of illegal constructions over historical Kabir Pond, Lahartara, declared by the Government of Uttar Pradesh to be protected pond as per Letter No. 115/2nd-25/2012 dated 21.07.2012.

4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 23.12.2025 issued the following directions:

   "….. 9. Responses by the respondents no. 1 to 7 may be filed within four weeks.

   11. List on 04.02.2026 for further consideration."

REPLY IS AS FOLLOWS: -

5. That, it is humbly submitted that, vide letter dated **01.04.2026**, it is submitted that Kabir Talab, Lahartara, Varanasi has not been notified as a wetland under the provision of the Wetland Rules, 2017 and does not fall within the Jurisdiction of the District and State Wetland Authority. That the said pond is also not classified as reserved or protected forest. That, during the field inspection conducted by the Sub Divisional Forest Officer, Varanasi, on 28.03.2026, no felling of the tree was observed.

NOTARY
Ramesh Prasad Gupta
Area Varanasi
GOVT OF U.P.

A copy of the letter dated 01.04.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That, it is respectfully submitted that, on **28.03.2026**, the deponent conducted an inspection of the Kabir Talab, Lahartara, Varanasi, along with the Range Forest Officer, Varanasi, and the concerned Section Officer. It was observed that along the periphery of the pond, both old and newly grown trees such as Chhitwan, Banyan, Neem, Drumstick (Moringa), Peepal, Bamboo, Kanji, Siris, Arjun, Gular, etc., are present.

   A copy of the photos of the plants have been annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 2.**

7. That, the deponent has been duly diligent in complying with the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, and will take all necessary measures to ensure timely and complete compliance therewith in letter and spirit in future.

8. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY
Ramesh Prasad Gupta
Area-Varanasi
R.No. 31/12/2000
U.P.
04/4/26

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 4th day of ~~March~~ April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Ramesh Prasad Gupta
Area-Varanasi
R.No.
GOVT OF U.P.
4/4/26

DEPONENT

NOTARY
Ramesh Prasad Gupta
GOVT OF U. P.

Before me.
SWORN & VERIFIED

R. P. Gupta Advocate
NOTARY GOVT. OF U.P.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)
दूरभाष/फैक्स-0542 2585574 ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांकः- 4142 /29-1, दिनांक, वाराणसी, अप्रैल ,01 2026 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या-645/2025, महन्त गोविन्द दास शास्त्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में बैठक ।

सन्दर्भः- 1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,उ0प्र0 लखनऊ का ईमेल की माध्यम से प्राप्त संदेश दिनांक-16.03.2026 ।
2.आपका पत्रांक-2611/2-43, दिनांक-27.03.2026 ।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि महन्त गोविन्द दास शास्त्री पीठाधीश्वर, प्राचीन कबीर प्राकट्य स्थलीय लहरतारा वाराणसी के द्वारा कबीर तालाब, लहरतारा पर हुए अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भू-गर्भ जल विभाग, खण्ड-वाराणसी को सूचित किया गया था। सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भू-गर्भ जल विभाग, खण्ड-वाराणसी के द्वारा अपने पत्र दिनांक-11.07.2025 से जिलाधिकारी, वाराणसी/अध्यक्ष, जिला भू-गर्भ जल, प्रबन्धन परिषद, जनपद-वाराणसी को अवगत कराया गया कि "तालाब केन्द्रीय अभिरक्षित स्थल की श्रेणी में चिन्हित है। जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराना अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कृपया उक्त तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।"

महन्त गोविन्द दास शास्त्री के द्वारा भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-वाराणसी का पत्र दिनांक-11.07.2025 की प्रति के साथ मा0 न्यायाधिश महोदय, हरित और पर्यावरण न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के न्यायालय में शिकायत की गयी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संरक्षित कबीर तालाब, लहरतारा पर अवैध निर्माण को हटाकर पुनर्जिवितत करने के सम्बन्ध में संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

महन्त गोविन्द दास शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र का मा0 न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए ओ.ए. नम्बर-645/2025 पंजीकृत करते हुए आदेश दिनांक-23.12.2025 एवं 04.02.2026 निर्गत किया गया है। आदेश दिनांक-23.12.2025 के बिन्दु संख्या-5 में प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी संख्या-01 उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0, प्रतिवादी संख्या-02 जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, प्रतिवादी संख्या-03 राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, प्रतिवादी संख्या04-जिला आर्द्र भूमि समिति, प्रतिवादी संख्या-05 प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी, प्रतिवादी संख्या-06 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य सचिव, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रतिवादी संख्या-07 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य सचिव हैं।

मा0 न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक-23.12.2025 के बिन्दु संख्या-10 में उल्लिखित है कि ज्वाइंट कमेटी के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (सी.पी.सी.बी.), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.पी.पी.सी.बी.) और जिलाधिकारी, वाराणसी, संयुक्त रूप से 02 सप्ताह में स्थल की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.पी.पी.सी.बी.) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा आगामी तिथि 04.02.2026 को नियत की गयी है।

मा0 न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक-04.02.2026 में उल्लिखित किया गया है कि संयुक्त समिति की सदस्यों ने 02.02.2026 को लहरतारा स्थित ऐतिहासिक कबीर तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौजा लहरतारा पहले नगर निगम बोर्ड के अधीन था और वाराणसी नगर निगम सीमा के भीतर स्थित है। संयुक्त समिति के दौरे के दौरान आराजी संख्या-255 में सदगुरू कबीर धाम परिसर में अतिक्रमण पाया गया जिसमें तालाब, पक्की सड़क वाले स्थायी मकान, कबीर मठ का मार्ग, सीमेन्ट की बनी चारदीवा और ईंट की चारदीवारी शामिल है। कुल अतिक्रमण क्षेत्र लगभग 3.63 हे0 अंकित है। संयुक्त समिति के दौरे के दौरान यह पाया गया कि घरों से निकलने वाला कुछ अनुपचारित घरेलु अपशिष्ट जल तालाब में बहाया जा रहा है। संयुक्त समिति के दौरे के दौरान कुछ भुखण्डों पर अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहा था। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-04.02.2026 में संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक-02.02.2026 को क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के द्वारा दाखिल किया गया था। मा0 न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद निर्देश दिये गये कि प्रतिवादी को अतिक्रमण से सम्बन्धित समस्त विवरण देने होंगे जिनमें अतिक्रमण कारियों की सूची, उनके नाम, पिता का नाम, अतिक्रमण किये गये क्षेत्र का विवरण (लम्बाई, चौड़ाई और सीमाओं सहित), अतिक्रमण हटाने के लिए की गयी कार्यवाही, दायर किये गये बेदखली मामलों की संख्या, वर्तमान स्थिति और मामलों के निपटारे में लगने वाला सम्भावित समय शामिल है।

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-04.02.2026 के बिन्दु संख्या-13 में जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नर, वाराणसी को निर्देश दिये गये कि सभी आवश्यक कार्यवाही उठायें ताकि उपर्युक्त भूमि पर आगे कोई निर्माण कार्य न किये जाये।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कबीर तालाब लहरतारा वाराणसी, वाराणसी जनपद में वेटलैण्ड रूल्स, 2017 के प्राविधानों के तहत चिन्हित वेटलैण्ड के रूप में चिन्हित नहीं है व वन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

- कबीर तालाब लहरतारा आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि की श्रेणी में भी नहीं है।
- कबीर तालाब लहरतारा में उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.03.2026 को किसी प्रकार के वृक्षों का पातन भी नहीं पाया गया।

- कबीर तालाब लहरतारा वाराणसी पर अतिक्रमण को खाली कराने से सम्बन्धित वाद मा0 न्यायालय में योजित किया गया है। विषयगत प्रकरण में वाराणसी वन प्रभाग/जिला वेटलैण्ड प्राधिकरण, वाराणसी से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-04.02.2026 में जिलाधिकारी, वाराणसी व पुलिस कमिश्नर वाराणसी को उक्त तालाब से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(स्वाति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांकः-4142/समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रयागराज।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

(स्वाति)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

ANNEXURE 2

Latitude: 25.313904
Longitude: 82.970043
Elevation: 96.62±6.8 m
Time: 28-03-2026 13:14
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.314935
Longitude: 82.96982
Elevation: 96.92±14.2 m
Time: 28-03-2026 11:54
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.315085
Longitude: 82.969915
Elevation: 96.92±2.88 m
Time: 28-03-2026 11:53
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.313104
Longitude: 82.969627
Elevation: 99.22±4.6 m
Time: 28-03-2026 13:02
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.313096
Longitude: 82.969676
Elevation: 99.22±1.59 m
Time: 28-03-2026 13:02
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.313097
Longitude: 82.969673
Elevation: 99.22±3.22 m
Time: 28-03-2026 13:02
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.313898
Longitude: 82.969648
Elevation: 97.92±3.64 m
Time: 28-03-2026 13:13
Address: Uttar Pradesh Varanasi Division Lahartara Road Sant Kabir Das smarak
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India

Latitude: 25.313937
Longitude: 82.969549
Elevation: 97.92±3.75 m
Time: 28-03-2026 13:13
Address: Uttar Pradesh Varanasi Division Lahartara Road Sant Kabir Das smarak
Note: Lahartara Boulia, Lahartara Boulia, Bazardiha, Maheshpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India